वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

181

संं0 ....~~170~~..../न0 अ0 वि0

दिनांक ..20-7-13..

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री श्री पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री विक्रमा सिंह / मैनेजिंग डायरेक्टर हाईस्पीड डेवलपर्स प्रा० लि० पिता/पति का नाम श्री .... आराजी संख्या मि० 221, 224/2 मि० 23 मौजा बेनीपुर वार्ड सारनाथ में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20

उपाध्यक्ष
51/2013 गुरुधाम
विन्यास
विकास प्राधिकरण, वाराणसी

20/7/13

नगर अभियन्ता (भवन)
कृते उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झॉप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर .... दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रुल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नही माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

शर्ते :–

1. पक्ष को स्थल पर सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित् करनी होगी।
2. पक्ष को स्थल पर मानक के अनुसार 15 पेड़ लगाना होगा।
3. शपथ पत्र दिनांक 11.06.13 का अनुपालन सुनिश्चित् करना होगा।
4. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि0 03.06.13 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तो का शत–प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
5. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
6. शासनादेश सं0–570/9–आ–1–भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश सं0–772/9–आ–1–भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
7. स्वामित्व के सम्बन्ध में एवं प्रश्नगत आराजी तथा रास्ते के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई विवाद/तथ्य उजागर होते हैं तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक की होगी तथा उपरोक्त वर्णित दशा में विवाद/तथ्य उजागर होने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
8. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित् करनी होगी।
9. पक्ष एवं आर्किटेक्ट एवं स्ट्रक्चर इंजीनियर को यह सुनिश्चित् करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष/आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर की होगी।
10. स्टिल्ट फ्लोर के नीचे बेसमेन्ट का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी दशा में बेसमेन्ट की छत भूतल के लेबिल में होगी तथा उसमें मैकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था प्राविधान किया जाना अनिवार्य है तथा स्लैब का स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगी।
11. भवन में ढॉचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
12. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में मलवा अपने भूखण्ड पर रखेगा।
13. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्च. इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
14. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति वांछित है। उक्त आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति में वर्णित शर्तो का पालन निर्देशानुसार स्थल पर पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक को अनिवार्य रूप से करना होगा।
15. बेसमेन्ट की प्रस्तावना जो बिल्डिंग लाईन से अधिक पर प्रस्तावित है, उसमें स्लैब प्रस्तावित, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगा।

(हस्ताक्षर) 20.6.13

नगर अभियन्ता (भवन)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner